मांग संख्या 34

मुख्य शीर्ष 2235

मद कमांक 1

निशक्तजन अधिनियम 1995 के अंतर्गत जिला एवं राज्य स्तर पर निशक्तजनों का अभिलेखीकरण एवं जिलों तथा राज्यों के मध्य सूचना एवं संचार प्रौघोगिकी के माध्यम से योजनाओं के नियंत्रण, मूल्यांकन एवं विश्लेषण हेतु सूचना प्रौघोगिकी के विकास हेतु 12.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 12,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 2

नवीन जिलों में शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु पूर्व से संचालित कला पथक योजना के विस्तार का निर्णय लिया गया है । योजना के अंतर्गत वेतन भत्ते तथा अन्य अनुषांगिक व्यय हेतु रूपये 50.75 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 50,75,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 3

निशक्तजन सामर्थ्य विकास हेतु आयोजित किये जाने वाले शिविरों में निशक्तजनों को उपकरण एवं अन्य सहायक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु रूपये 100.00 लाख का प्रावधान नवीन मद के रूप में किया गया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 1,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 4

निशक्तजन अधिनियम के क्रियान्वयन के अंतर्गत 9 नवीन जिलों में किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना तथा 9 अन्य जिलों में बाल कल्याण समिति के गठन का निर्णय लिया गया है । बोर्ड तथा समिति के संचालन हेतु वर्ष 2007-08 में 16.42 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 16,42,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 5

निशक्त व्यक्तियों की क्षमताओं के विकास हेतु राज्य में स्वावलंबन केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है । केन्द्र की स्थापना हेतु मानदेय तथा अन्य अनुषांगिक व्यय हेतु 33.36 लाख का व्यय अनुमानित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 36,36,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 6

जिला पुर्नवास केन्द्र बिलासपुर के भवन निर्माण का निर्णय लिया गया है यह नवीन मद है इस पर रूपये 41.26 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 41,26,000 का प्रावधान किया गया है ।